

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-10-81/2017/वाक/पांच (144). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-81/2017/वाक/पांच (144), दिनांक 13-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION
No. 40 /2017 – State Tax

No. F-10- 81/2017/CT/V (144). — In exercise of the powers conferred by section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the 'said Act'), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed one crore and fifty lakh rupees or the registered person whose aggregate turnover in the year in which such person has obtained registration is likely to be less than one crore and fifty lakh rupees and who did not opt for the composition levy under section 10 of the said Act as the class of persons who shall pay the state tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act including in the situations attracting the provisions of section 14 of the said Act, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter IX of the said Act and the rules made thereunder and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

अधिसूचना
क्रमांक 45/2017 –राज्य कर

क्रमांक एफ-10-81/2017/वाक/पांच(145). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर (आठवां संशोधन) नियम, 2017 है।
- (2) वे उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर नियम, 2017 में,-
 - (i) नियम 3 में, उपनियम (3क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
“(3क) उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है या जिसे नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, धारा 10 के अधीन उस मास के, जिसमें उसने सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से 31 मार्च, 2018 को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संसूचना फाइल करता है, के तुरंत उत्तरवर्ती मास की पहली तारीख से कर का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा और वह नियम 44 के उपनियम (4) के

(vi) प्ररूप जीएसटीआर-1क में सारणी 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“4 एसईजेड को की गई शून्य दर पूर्तियां और माने गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			एकीकृत कर			उपकर
	सं0	तारीख	मूल्य	दर	कराधेय मूल्य	कर रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8
4क. एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को की गई पूर्तियां							
4ख. माना गया निर्यात							
” ;							

(vii) प्ररूप जीएसटी आर-4 में, अनुदेश सं0 9 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“10. जुलाई, 2017 से सितंबर, 2017 और अक्टूबर, 2017 से दिसंबर, 2017 कर अवधि के लिए सारणी 4 की क्रम सं0 4क प्रस्तुत नहीं की जाएगी”।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-10-81/2017/वाक/पांच (145). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-81/2017/वाक/पांच (145), दिनांक 13-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION
No. 45/2017 – State Tax

No. F-10- 81/2017/CT/V (145). — In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :-

- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, –
- (i) in rule 3, for sub-rule (3A), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

“(3A) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), a person who has been granted registration on a provisional basis under rule 24 or who has been granted certificate of registration under sub-rule (1) of rule 10 may opt to pay tax under section 10 with effect from the first day of the month immediately succeeding the month in which he files an intimation in FORM GST CMP-02, on the common portal either directly or through a Facilitation Centre

1	2	3	4	5	6	7	8
4B. Deemed exports							
							”;

(viii) in FORM GSTR-4, after instruction no.9, the following shall be inserted, namely :-

“10. For the tax periods July, 2017 to September, 2017 and October, 2017 to December, 2017, serial 4A of Table 4 shall not be furnished.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.